

विहंगावलोकन

1.1 राज्य का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित है और 1,35,192 वर्ग कि.मी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.11 प्रतिशत) में फैला हुआ है। नवम्बर 2000 में संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके राज्य बनाया गया है। राज्य में 33 जिले¹ हैं एवं और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत और राज्यों के जनसंख्या अनुमान 2011–2036 के अनुसार यह 3.02 करोड़ आबादी का घर है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2013 में 2.64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में 3.02 करोड़ हो गई, जो 14.51 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज करती है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य एवं वित्तीय आंकड़े परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य मूल्य वर्धित

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) आउटपुट का मूल्य घटाकर उसके मध्यस्थ इनपुट का मूल्य है।

छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों) तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
(₹ करोड़ में)					
भारत					
सकल घरेलू उत्पाद	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
सकल मूल्य वर्धित	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)-1.36	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में सकल मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
राज्य					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,27,107	3,44,648	3,47,752 ^{प्र}	4,06,416 ^{त्}	4,57,608 ^अ
सकल राज्य मूल्य वर्धित	3,01,106	3,24,951	3,31,957 ^{प्र}	3,85,436 ^{त्}	4,34,216 ^अ
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.69	5.36	0.90	16.87	12.60
पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य मूल्य वर्धित की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.93	7.92	2.16	16.11	12.66
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ में)	1,13,413	1,19,058	1,18,553 ^{प्र}	1,36,873 ^{त्}	1,52,348 ^अ

(स्रोत: एमओएसपीआई प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2023 तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़)

अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

¹ 31 मार्च 2023 तक

प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹4,57,608 करोड़ था और प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद ₹2,72,40,712 करोड़ था। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,52,348 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹1,96,983 थी। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में वृद्धि (34.33 प्रतिशत) इसी अवधि के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) से कम थी।


सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल निश्चित पूंजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अंतर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए डेटा की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

जीएसवीए की वृद्धि दर 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीवीए की वृद्धि दर से अधिक थी, लेकिन यह 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान जीवीए की विकास दर के साथ तालमेल रखने में सक्षम नहीं थी।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए के रुझान नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 1.1: जीएसडीपी बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)

(प्रतिशत में)




स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी के क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़

चार्ट 1.2 जीएसडीपी की क्षेत्रीय विकास दर को दर्शाता है जो वर्ष 2018-23 की पांच साल की अवधि में सभी तीन क्षेत्रों की विकास दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 में उद्योग और सेवाओं की विकास दर में कमी आई जबकि कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई।

1.2 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) का प्रतिवेदन राज्य के लेखाओं से सम्बन्धित होता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गई है।

प्रतिवर्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषालय, राज्य शासन के नियंत्रण में कार्यरत कार्यालय और विभाग जो ऐसे लेखों को रखने के लिये उत्तरदायी है द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणकों, चालान, एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखों, तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों तैयार करते हैं। इन लेखों का लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किया जाता है, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के लिये राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन का मुख्य आंकड़ा होता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है :

- राज्य का बजट, राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आकलन करने के लिये तथा संबंधित नियमों और निर्धारित नियमों के साथ इसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिये आंकड़ा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है ;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों और कोषालय से अन्य आंकड़ा (लेखाकंन साथ ही एम.आई.एस);
- संचालनालय, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े; और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण पंद्रहवें वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, राज्य के बजट दस्तावेजों और भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अनुशंसा के संदर्भ में किया गया है।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

शासकीय लेखों को तीन भागों में रखा जाता है :

1. राज्य का समेकित निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि के अन्तर्गत राज्य शासन को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य शासन द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा शासन द्वारा दिये गये ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से विधि के अनुसार और भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और प्रदत्त तरीके के अलावा कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियों (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि), राज्य के समेकित निधि (प्रभारित व्यय) एवं इसके लिए राज्य विधानसभा में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (मतदेय व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधानसभा के अनुमोदन के लंबित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे (डेबिट) कर प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, शासन द्वारा या शासन के पक्ष में प्राप्त लोक धन राशि, जहाँ शासन एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), अग्रिमों, आरक्षित निधि (ब्याज सहित तथा ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित है। शासन के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखे विधानसभा के मतदान के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज़

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में शासन की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानसभा के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना एक भारतीय संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट राजस्व लेखे में किये गये व्यय अन्य व्यय से भिन्नता होनी चाहिए।

राजस्व लेखा प्राप्तियों में कर राजस्व (स्वयं के कर राजस्व तथा संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा), करेतर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है।

राजस्व लेखा व्यय में वे समस्त व्यय शामिल हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता। यह सरकारी विभागों को सामान्य काम-काज और विभिन्न सेवाओं, शासन द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्ति के निर्माण से संबन्धित हो सकते हैं) आदि व्ययों से संबन्धित है।

पूँजीगत लेखा प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियाँ : बाजार ऋणों, बॉन्ड, वित्तीय संस्थाओं से ऋणों, निवल आर्थोपॉय अग्रिमों, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, इत्यादि:

गैर ऋण प्राप्तियाँ : विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

पूँजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों, शेयरों में निवेश और शासन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अग्रिमों शामिल है ।


शासकीय लेखों के वर्गीकरण प्रणाली कार्यात्मक और आर्थिक भी है ।

	कार्यक्रम विवरण	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के सूची में दर्शाये गये अनुसार	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि / विभाग	अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (तीन अंक)
राज्यों के लिये	योजना	उप- शीर्ष (दो अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो अंक)
	आर्थिक प्रकृति / गतिविधियाँ	उद्देश्य शीर्ष – वेतन, लघु निर्माण, आदि (दो अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा व्यय की आर्थिक श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थापन करना, शासकीय लेनदेन को राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) अनुभागों में अंतर करना, अन्य राजस्व एवं सहायता अनुदान से कर राजस्व जैसे क्षेत्र, आय एवं व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं आदि उप-क्षेत्र शामिल है। व्यय के पक्ष में लेन-देन भी क्षेत्र अनुसार वर्गीकृत किया गया है जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें तथा सहायता अनुदानों तथा योगदानों एवं इन क्षेत्रों के नीचे मुख्य शीर्षों में उप-वर्गीकृत किया गया। समेकित निधि के अंतर्गत विहित लेखों का मुख्य शीर्षों साधारणतः शासन के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 'शिक्षा', जबकि मुख्य शीर्षों के अधीनस्थ लघु शीर्षों द्वारा प्रस्तुत कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए 'कार्यक्रम' की पहचान करते हैं। एक कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाओं या गतिविधियों शामिल हो सकती है और यह आमतौर पर लघु शीर्षों के नीचे उप शीर्ष के अनुरूप होते हैं। उप-शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष' मुख्य रूप से व्यय पर मदवार नियंत्रण के लिये अभिप्रेत है और वेतन, कार्यालय व्यय, अनुदान आदि के संदर्भ में किसी योजना या गतिविधि पर व्यय की वस्तु या प्रकृति को इंगित करता है ।

शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.4: शासकीय लेखों की संरचना का सचित्र चित्रण



स्रोत : वित्त लेखे

लोक ऋण और लोक लेखा दायित्व: इस रिपोर्ट में, 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष(एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण आदि को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 – लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

इसके अलावा, लोक लेखा के तहत 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से संबंधित लेनदेन ऐसे होते हैं कि सरकार प्राप्त धन को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा करती है। भुगतान की गई राशि सार्वजनिक खाते के अंतर्गत 'प्रेषण' और 'सस्पेंस' से संबंधित लेन-देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्टों के बीच नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन जैसे समायोजन प्रमुख शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में, 'लोक लेखा दायित्व' को 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा' के तहत लेनदेन के साथ-साथ प्रमुख शीर्ष 6003 और 6004 के तहत लेनदेन को शामिल करने के लिए लिया गया है।

1.4 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिये राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक कथन **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार, उपरोक्त को अनुदान/विनियोजन के लिये 71 मांग अनुदानों/विनियोजन के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया गया था और

इनकी स्वीकृति के बाद आवश्यक धन समेकित निधि से विनियोग को प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था। राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिये वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे का कोर डाटा शामिल किया गया। यह लेखे वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निष्पादित विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाया गया है) सुत्रीकरण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य शासन को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने के लिये मार्गदर्शन करता है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों के सापेक्ष में वास्तविक वित्तीय परिणामों और वर्ष 2021-22 के वास्तविक परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: वित्त का आशुचित्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	वर्ष 2021-22 (वास्तविक)	वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान)	वर्ष 2022-23 (वास्तविक)	वास्तविक आंकड़े बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक आंकड़े स. रा.घ.उ का प्रतिशत
1	कर राजस्व	55,654.52	56,823.25	65,480.57	115.24	14.31
(i)	स्वयं के कर राजस्व	27,083.73	29,000.00	33,122.31	114.21	7.24
(ii)	संघीय करों/शुल्कों के अंश	28,570.79	27,823.25	32,358.26	116.30	7.07
2	करेत्तर राजस्व	13,851.21	15,500.00	15,248.24	98.38	3.33
3	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,146.30	16,750.00	13,148.33	78.50	2.87
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	79,652.03	89,073.25	93,877.14	105.39	20.51
5	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों की वापसी	88.02	327.00	117.24	35.85	0.03
6	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.89	0.00	5.60	0.00	0.00
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,098.28	16,511.90	10,638.74	64.43	2.32
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	15,191.19	16,838.90	10,761.58	63.91	2.35
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	94,843.22	1,05,912.15	1,04,638.72	98.80	22.87
10	राजस्व व्यय	75,010.01	88,371.61	85,285.03	98.51	18.64
11	ब्याज भुगतान	6,144.24	7,222.05	6,382.08	88.37	1.39
12	पूँजीगत व्यय	10,504.22	15,240.69	13,320.30	87.40	2.91
13	अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों	328.81	387.73	85.86	22.14	0.02
14	कुल व्यय (10+12+13)	85,838.04	1,04,000.03	98,691.19	94.40	21.57
15	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)	(+)4,642.02	(+)7,01.64	(+)8,592.11	1224.58	1.88
16	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	(-)6,093.10	(-)14,599.78	(-)4,691.21	32.13	1.03
17	प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-) (16-11)	(+)51.14	(-)7,377.73	(+)1,690.87	22.92	0.37

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक 2022-23

अधिक कर राजस्व प्राप्तियाँ जुटाने और बजट की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण राजस्व आधिक्य अनुमान से अधिक रहा। बजट में अनुमान से अधिक राजस्व आधिक्य और कम पूँजीगत व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहा।

1.4.2 शासकीय परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे शासन की वित्तीय दायित्वों और किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ को समाहित करते हैं। दायित्वों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण और भारत सरकार से अग्रिम, लोक लेखों से प्राप्तियाँ और संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य शासन द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम एवं रोकड़ शेष शामिल हैं।

तालिका 1.3: दायित्वों और परिसंपत्तियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दायित्वों	परिसंपत्तियाँ						
		2021-22	2022-23	वृद्धि(+)/कमी (-) की प्रतिशतता				
1	आंतरिक ऋण	71,186.62	68,754.82	(-)3.42	कुल पूँजीगत परिव्यय	1,12,412.50	1,25,727.20	(+)11.84
2	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिमों	11,726.15	15,195.95 ²	(+)29.59	ऋण और अग्रिमों	1,409.86	1,378.31	(-)2.24
3	आकस्मिकता निधि (कोपर्स)	100.00	100.00	0.00	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	0.00	0.00	0.00
4	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	8,020.50	9,326.98	(+)16.29	अग्रिम	7.34	7.00	(-)4.63
5	जमा	5,786.49	6,146.92	(+)6.23	प्रेषण	336.22	298.66	(-)11.17
6	आरक्षित निधि	9,627.40	9,606.04	(-)0.22	उच्चत तथा विविध शेष	0.00	0.00	0.00
7	उच्चत तथा विविध शेष	142.70	238.80	(+)67.34	रोकड़ शेष ³	9,921.62	8,047.97	(-)18.88
8	प्रेषण	0.00	0.00	0.00	कुल (1 से 7)	1,24,087.54	1,35,459.14	(+)9.16
					शासकीय लेखों पर घाटा	17,497.68	26,089.61	(+)49.10
कुल (1 से 8)		1,00,072.48	1,06,589.86	(+)2.61	कुल (8 से 9)	1,00,072.48	1,09,369.53	(+)2.61

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट बुक

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

घाटा, शासन के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधक का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटे को कम किया जाता है और उठाए गए संसाधनों को लागू किया जाता है, वे इसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खंड वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005/नियमों/राजकोषीय नीति वक्तव्य के तहत निर्धारित राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन के साथ-साथ प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण इन घाटे के वित्तपोषण के तरीके और वित्तीय स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रस्तुत करता है।

² इसमें जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में ₹8,074.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। इस ऋण की ऋण पुनर्भगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी।

³ निर्धारित निधि में निवेश सहित

1.5.1 राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (सितंबर 2011, 2016 और मार्च 2021 में संशोधित) राजस्व घाटे के प्रगतिशील उन्मूलन, राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 के अंत तक राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक लाना था। बजट 2022-23 के साथ प्रस्तुत मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.33 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। 2022-23 के दौरान जीएसडीपी का 1.03 प्रतिशत राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम/ एमटीएफपीएस में निर्धारित लक्ष्य के भीतर था।

सीजीएफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित प्रमुख राजकोषीय समेकन, राजकोषीय नीति वक्तव्यों में अधिनियम के तहत किए गए खुलासे और 2018-23 के दौरान उनकी उपलब्धि तालिका 1.4 में दी गई है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय अवयव 2018-23⁴

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंडों	अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व आधिक्य	(+)683.76 हाँ	(-)9,608.61 नहीं	(-)6,856.66 नहीं	(+)4,642.02 हाँ	(+)8,592.11 हाँ
2	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत)	2018-19 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.50 प्रतिशत, 2019-21 के लिये स.रा.घ. उ. का 5 प्रतिशत एवं 2021-22 के लिये स.रा.घ. उ. का 4.56 प्रतिशत एवं 2022-23 के लिये स.रा.घ. उ. का 3.33 प्रतिशत	(-)8,292.23 (2.54 प्रतिशत) हाँ	(-)17,969.55 (5.21 प्रतिशत) नहीं	(-)15,822.38 (4.55 प्रतिशत) हाँ	(-)6,093.10 (1.50 प्रतिशत) हाँ	(-)4,691.21 (1.03 प्रतिशत) हाँ
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया देयताए का अनुपात (प्रतिशत में)	2018-19 के लिये 18.06% 2019-20 के लिये 21.23% 2020-21 के लिये 21.59% 2021-22 के लिये 28.34% 2022-23 के लिये 26.41%	20.41 प्रतिशत नहीं	22.84 प्रतिशत नहीं	25.75 ⁵ प्रतिशत नहीं	22.42 ⁶ प्रतिशत हाँ	20.46 ⁷ प्रतिशत हाँ

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

राज्य वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजस्व आधिक्य ₹8,592.11 करोड़ था, जबकि वर्ष 2021-22 में ₹4,642.02 करोड़ था। राजस्व आधिक्य में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹10,275.02 करोड़ (13.70 प्रतिशत) की वृद्धि के बावजूद 2021-22 की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹14,225.11 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की वृद्धि के

⁴ जीएसडीपी के संबंध में पूर्व की रिपोर्टों में दर्शाए गए प्रतिशत को जीएसडीपी के संशोधित आंकड़ों के कारण संशोधित किया गया है।

⁵ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹3,109 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹89,556.90 करोड़ पर की गई है।

⁶ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर की गई है।

⁷ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹93,622.28 करोड़ पर की गई है।

कारण हुई। भारत सरकार से जीआईए के तहत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 29.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य का राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹6,093.10 करोड़ से 2022-23 (₹4,691.21 करोड़) के दौरान ₹1,401.89 करोड़ कम हो गया, क्योंकि राज्य का राजस्व आधिक्य 2021-22 में ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹8,592.11 करोड़ हो गया। हालाँकि, जैसा कि पैरा 1.7 में बताया गया है, आरक्षित निधि में गैर-योगदान/गलत वर्गीकरण आदि के समायोजन के बाद वास्तविक राजस्व आधिक्य ₹4,773.30 करोड़ और वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹5,615.80 करोड़ होता। केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान एफ.आर.बी. एम./एम.टी.एफ.पी.एस. के तहत निर्धारित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी के 5.21 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद को कुल बकाया ऋण का प्रतिशत (20.46 प्रतिशत) राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस (26.41 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्य एवं पन्द्रहवे वित्त आयोग (30.2 प्रतिशत) द्वारा अनुशंसित लक्ष्य के भीतर था। जीएसडीपी को देनदारियों का प्रतिशत की गणना, कुल बकाया ऋण की राशि से जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले राज्य शासन द्वारा प्राप्त ₹8,074.15 करोड़ (2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ और 2020-21 में ₹3,109 करोड़) के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर की गई है।

छत्तीसगढ़ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 5(3) के तहत, जब भी राज्य सरकार बिना शर्त और पर्याप्त रूप से मूल राशि चुकाने और/या किसी अलग कानूनी इकाई के ब्याज का भुगतान करने का वचन देती है, तो उसे इस तरह की देनदारी को राज्य के उधार लेने के रूप में प्रतिबिंबित करना होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ एफआरबीएम नियम निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने और अनुदान की मांग के समय सीजीएफआरबीएम अधिनियम की धारा 5 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण करेगी। हालाँकि, राज्य सरकार ने बजट दस्तावेज के साथ आवश्यक फॉर्म डी-2 "राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियों" में इस तरह के ऑफ-बजट उधार (₹7,161.32 करोड़) का खुलासा नहीं किया। जैसा कि पैरा 1.7 में बताया गया है, बकाया देनदारियों में ऑफ-बजट उधार को शामिल करने के बाद जीएसडीपी अनुपात में देनदारियां 22.02 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

1.5.2 वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीएफआरबीएम अधिनियम के तहत किए गए खुलासे

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष राजकोषीय नीति विवरण जैसे *मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट* (एमएफएस), मध्यवर्धक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ रखेगी।

विवरण में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विहंगावलोकन, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय संरचना का विश्लेषण, राज्य शासन के वित्त और भविष्य की संभावनाओं से संबंधित मूल्यांकन, निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के रोलिंग लक्ष्य आदि शामिल होंगे।

तलिका 1.5 में वर्ष 2022-23 में राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक की भिन्नता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिये एम.एफ.एस./एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्वयं के कर राजस्व	29,000.00	33,122.31	(+)14.21
2	करेत्तर राजस्व	15,500.00	15,248.24	(-)1.62
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	27,823.25	32,358.26	(+)16.30
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	16,750.00	13,148.33	(-)21.50
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	89,073.25	93,877.14	(+)5.39
6	राजस्व व्यय	88,371.61	85,285.03	(-)3.49
7	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(5-6)	(+)701.64	(+)8,592.11	(+)1,124.58
8	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-)14,599.78	(-)4,691.21	(+)67.87
9	राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.41	20.46 ⁸	(+)22.53
10	प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.60	12.60	(+)31.25

स्रोत : वित्त लेखे तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के प्रकटीकरण वर्ष 2022-23

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान को छोड़कर एमएफएस/एमटीएफपीएस में किए गए अनुमान वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे हुए। करेत्तर राजस्व में ₹251.76 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में प्रमुख सिंचाई के तहत ₹275.20 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों के तहत ₹61.91 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई।

1.5.3 घाटा/आधिक्य

जब कोई शासन राजस्व के माध्यम से जितना संग्रहित होता है उससे अधिक व्यय करता है तो यह घाटा निर्मित करता है। ऐसे कई कदम हैं जो शासकीय घाटे को अधिकृत करते हैं।

<p>राजस्व घाटा / आधिक्य (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर के संदर्भ में</p> <ul style="list-style-type: none"> जब शासन का राजस्व घाटा होता है, इसका अर्थ यह है कि शासन निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित करने के लिए कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये उपयोग किया गया था, जिससे पूँजीगत संपत्ति के सृजन के लिए पूँजीगत संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इस स्थिति का मतलब है कि, शासन को न केवल अपने निवेश को वित्तपोषित करने के लिये उधार लेना होगा बल्कि, इसके उपभोग की आवश्यकतायें के लिये भी उधार लेना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और शासन को अंततः व्यय में कटौती करने के लिये विवश करता है। यदि राजस्व व्यय का अधिकांश अंश प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियों, वेतन, पेंशनों) हो तो, शासन द्वारा उत्पादक व्यय या कल्याणकारी व्यय को कम किया जाता है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याणकारी निहितार्थ।
--	--


⁸ जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में बैंक टू बैंक ₹8,074.15 करोड़ के ऋण की राशि को छोड़कर ऋण जीएसडीपी प्रतिशत की गणना कुल ऋण ₹93,622.28 करोड़ पर की गई है।

<p>राजकोषीय घाटा / आधिक्य</p> <p>{कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर ऋण प्राप्तियाँ जो पूँजीगत प्राप्तियाँ को निर्मित करती है)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का योग और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। राजकोषीय घाटा शासन की कुल उधार की आवश्यकताओं के लिये को दर्शाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा शासन के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियाँ के मध्य का अंतर है जो उधार को छोड़कर है। गैर ऋण उत्पन्न करने वाली पूँजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो उधार नहीं हैं और इसलिये ऋण को बढ़ाने नहीं देते हैं। ऋण की वसूली तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय इसका उदाहरण है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार यह समस्त स्रोतों से शासन की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे को चलाती हैं और पूँजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये या आर्थिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण के लिये उधार लेती हैं ताकि, उधार के माध्यम से निर्मित संपत्ति से आय के स्रोत उत्पन्न करके अपने लिये भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिये प्राप्तियों का उपयोग करना पूरी तरह से उधार लेने के लिये वांछनीय है।</p>
---	--

1.5.4 घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹4,691.21 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹4,57,608 करोड़) का 1.03 प्रतिशत तथा कुल व्यय (₹98,691.19 करोड़) का 4.75 प्रतिशत गठित करता है। प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2021-22 के दौरान ₹51.14 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान ₹1,690.87 करोड़ हो गया। राजस्व आधिक्य वर्ष 2021-22 के दौरान ₹4,642.02 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान ₹8,592.11 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पाँच वर्ष की अवधि में आधिक्य और घाटे की प्रवृत्ति को चार्ट 1.4 में तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य या घाटे की प्रवृत्ति चार्ट 1.5 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.4: घाटा/आधिक्य के प्रवृत्तियाँ



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

चार्ट 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आधिक्य/घाटा के प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)



स्रोत : संबंधित वर्ष के वित्त लेखे

1.6 राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(इ) और 243(य) के अनुसार, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) को हर पांच साल के बाद नियुक्त किया जाता है, जो राज्य शासन से स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की अनुशंसा करता है, और स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए उपाय भी सुझाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने 2000 में राज्य गठन के बाद से चार राज्य वित्त आयोगों का गठन किया है। राज्य वित्त आयोगों का विवरण नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.6: राज्य वित्त आयोग का गठन

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	संविधान के अनुसार गठित किया जाना है	वास्तव में गठित	अनुशंसा प्रस्तुत करने की तिथि	सरकार द्वारा स्वीकृति	पूर्ण अवधि
1	प्रथम	2001-02	22.08.2003 / 14.07.2004	30.05.2007	जुलाई 2009	2007-12
2	द्वितीय	2006-07	23.07.2011	31.03.2013	जुलाई 2013	2012-20
3	तृतीय	2011-12	20.01.2016	30.09.2018	अक्टूबर 2019	2020-25
4	चतुर्थ	2016-17	29.07.2021	-	-	2025-30

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट और स्वीकृति की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुल 81 अनुशंसा की हैं, जिनमें से राज्य शासन ने 36 को स्वीकार कर लिया है जबकि 5 अन्य को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन 23 जुलाई 2011 को वर्ष 2011-16 की अवधि के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। तथापि, राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को मार्च 2012 तक बढ़ा दिया था तथा द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि को वर्ष 2012 से बदलकर 2017 कर दिया था। तथापि, द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति को वर्ष 2017-20 की अवधि के लिए भी लागू किया गया था। दूसरे एसएफसी ने कुल 133 अनुशंसा की हैं, जिनमें से राज्य शासन ने 103 को स्वीकार कर लिया है।

तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन 20 जनवरी 2016 को पांच साल की अवधि यानी 2017-22 को कवर करने के लिए किया गया था। राज्य शासन ने भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग की समयावधि के साथ संयोजन के रूप में 2017-22 के स्थान पर 2020-25 की अवधि के लिए तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया था।

चौथा राज्य वित्त आयोग 29 जुलाई 2021 को गठित किया गया था और चौथे एसएफसी की अनुशंसा को पांच साल की अवधि यानी 2025-30 को कवर करना था। आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले उपलब्ध कराएगा।

राज्य वित्त आयोगों के गठन और राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण में और देरी हुई।

एसएफसी द्वारा अनुशंसित राज्य के अपने कर संसाधनों (एसओटीआर) का हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को तालिका 1.7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.7: राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन द्वारा स्वीकृत एसओटीआर का हस्तांतरण

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य वित्त आयोग	अवधि	एसएफसी द्वारा हस्तांतरण की अनुशंसा			राज्य शासन द्वारा स्वीकृत हस्तांतरण		
			पीआरआइ	यूएलबी	कुल	पीआरआइ	यूएलबी	कुल
1	प्रथम	2007-12	6.62	1.66	8.28	4.79	1.21	6.00
2	द्वितीय	2012-20	6.15	1.85	8.00	6.15	1.85	8.00
3	तृतीय	2020-25	6.91	2.09	9.00	6.91	2.09	9.00
4	चतुर्थ	2025-30	—	—	—	—	—	—

स्रोत : वित्त आयोग की रिपोर्ट

प्रथम एसएफसी के दौरान स्थानीय निकायों को हस्तांतरित एसओटीआर का प्रतिशत (6.00 प्रतिशत) अनुशंसित प्रतिशत (8.28 प्रतिशत) से कम था।

वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश, स्वीकार किए गए हस्तांतरण और राज्य शासन द्वारा आवंटित और जारी किए गए वास्तविक बजट के संबंध में निधि प्रवाह का विवरण नीचे तालिका 1.8 में दिखाया गया है:

तालिका 1.8: 2017-22 के दौरान राज्य शासन द्वारा स्वीकार किए गए हस्तांतरण और वास्तविक बजट/व्यय की तुलना में एसएफसी अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अवधि	एसएफसी द्वारा अनुशंसित राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिशत हस्तांतरण			राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट			राज्य शासन द्वारा वास्तविक रिलीज		
		पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग	पीआरआइ	यूएलबी	योग
1	2018-19	(6.15)	(1.85)	(8.00)	800	300	1100	839	300	1139
2	2019-20	(6.15)	(1.85)	(8.00)	756	321	1077	750	321	1071
3	2020-21	(6.91)	(2.09)	(9.00)	865	444	1309	606	442	1048
4	2021-22	(6.91)	(2.09)	(9.00)	858	451	1309	651	451	1102
5	2022-23	(6.91)	(2.09)	(9.00)	1644	423	2067	1209	423	1632

(# पंचायतों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता - एमएच 2217, 2515, 4217 और 4515 से नीचे एसएफसी की सिफारिश)

यूएलबी को जारी वास्तविक निधि वर्ष 2020–21 को छोड़कर वर्ष 2018–23 के दौरान बजट आवंटन के अनुसार था, जहां मामूली गिरावट देखी गई थी। लेकिन, वर्ष 2018–19 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित बजट से पीआरआई को जारी वास्तविक निधि कम थी। वर्ष 2022–23 के दौरान पीआरआई और यूएलबी को 2,067 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के मुकाबले, राज्य शासन ने केवल 1,632 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

1.7 लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा और ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक हैं। राज्य के वित्त की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, लेखापरीक्षा के ध्यान में आने वाले विभिन्न मुद्दे जिनका राज्य शासन के राजकोषीय घाटे और ऋण की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, का विवरण नीचे दिया गया है।

1.7.1 लेखापरीक्षा के बाद—घाटा/आधिक्य

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटे, ऋण की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा की गणना विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के कारण प्रभावित होता है। इसके अलावा, कुछ मुद्दे जैसे अनुदान के केंद्रीय हिस्से का हस्तांतरण, ब्याज सहित आरक्षित निधि पर ब्याज देनदारियां और उपकरण आदि भी संबंधित निधि में स्थानांतरित नहीं होने से भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों पर असर पड़ता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूंजी परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है।

ऊपर बताए गए मुद्दों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2022–23 के लिए राजस्व व्यय को ₹3,796.01 करोड़ से कम और राजस्व प्राप्ति को ₹22.80 करोड़ से अधिक बताया गया, जिसे तालिका 1.9 में परिकल्पित किया गया है। और उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का आकलन तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व प्राप्ति और व्यय पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	अनुच्छेद संदर्भ	राजस्व प्राप्ति की अत्योक्ति	राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति
1	राजस्व और पूंजी के बीच गलत वर्गीकरण	3.5.1 एवं 4.11	---	2,894.22
2	राष्ट्रीय पेंशन योजना पर ब्याज देनदारियां	2.4.2.3	---	0.65
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पर ब्याज देनदारियाँ	2.5.2.2 (ब)	---	8.18
4	एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की निधि के अव्ययित शेष के केंद्रीय हिस्से पर अर्जित ब्याज	2.3.2.3 (ब)	22.80	0.00
5	सहायता अनुदान के केंद्रीय हिस्से को राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित न करना	2.5.2.2 (अ)	---	181.60
6	राज्य आपदा राहत निधि में सहायता अनुदान के राज्य हिस्से का स्थानांतरण न होना	2.5.2.2 (अ)	---	60.53
7	खनिज विकास निधि में लघु स्थानांतरण	2.5.2.5 (स)	---	184.92
8	संचित निक्षेप निधि का संक्षिप्त योगदान	2.5.2.1	---	37.23
9	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के सहायता अनुदान का हस्तांतरण न होना	4.7	---	86.92

10	अधोसंरचना विकास और पर्यावरण उपकरण को नामित आरक्षित निधि में हस्तांतरित न करना	2.5.2.5 (अ) और 2.5.2.5 (ब)	---	341.76
योग			22.80	3,796.01

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विशेष	वित्त लेखा के अनुसार	अत्योक्ति (+) / न्यूनोक्ति (-) द्वारा	वास्तविक/पोस्ट ऑडिट परीक्षा
1	राजस्व आधिक्य	8,592.11	(+)3,818.81	4,773.30
2	राजकोषीय घाटा	4,691.21	(-)924.59	5,615.80

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

1.7.2 लेखा परीक्षा के बाद—कुल ऋण/दायित्व

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत परिभाषित कुल देनदारियों का अर्थ है राज्य के समेकित निधि और सार्वजनिक खाते के तहत शामिल देनदारियां और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा उधार और गारंटी सहित अन्य समकक्ष उपकरण शामिल हैं जहां मूलधन और ब्याज को राज्य के बजट से सेवित किया जाना है।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2017-23 की अवधि के दौरान, राज्य शासन ने पांच पीएसयू के माध्यम से ₹8,084.24 करोड़ के ऑफ-बजट उधार का सहारा लिया है, जिसमें से सरकार ने इन ऑफ-बजट उधार पर ब्याज की सर्विसिंग के अलावा ₹922.92 करोड़ के मूलधन का पुनर्भुगतान राज्य के बजट के माध्यम से किया। इस मुद्दे पर रिपोर्ट के पैरा 4.14 में विस्तार से चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा के बाद की देनदारियों की गणना के लिए, ऑफ-बजट उधार को कुल देनदारियों में जोड़ा गया है।

भारत सरकार ने राज्य को वर्ष 2020-21 में ₹3,109 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़ (कुल ₹8,074.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण जारी किया। इस बैंक टू बैंक ऋण को वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित राज्य की वार्षिक निवल उधार सीमा के अतिरिक्त माना गया है। इसके अलावा, इस ऋण की ऋण पुनर्भुगतान जीएसटी मुआवजा कोष में उपकरण के संग्रह से की जानी है, और इसलिए राज्य के अन्य संसाधनों से चुकौती दायित्व को पूरा नहीं किया जाएगा। लेखा परीक्षा के बाद देनदारियों की गणना के लिए जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण को भी बाहर रखा गया है।

ऑफ-बजट उधार और बैंक टू बैंक ऋण के कारण, कुल ऋण/देयता जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ी/घटी है जैसा कि तालिका 1.11 में दिया गया है।

तालिका 1.11: कुल देयताएं, लेखापरीक्षा में जांच के बाद

क्र.सं.	विशेष	राशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1.	31.03.2023 को लेखों के अनुसार कुल देयताएं/समग्र ऋण (अ)	1,01,696.43	22.22
2.	जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में बैंक टू बैंक एक ऋण (ब)	8,074.15	1.76
3.	बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर कुल देनदारियां (स) = (अ) - (ब)	93,622.28	20.46
4.	31.03.2023 को निवल ऑफ-बजट देनदारियां (₹8,084.24 - ₹922.92) (द)	7,161.32	1.56
कुल देयताएं (स)+(द)		1,00,783.60	22.02

स्रोत : वित्त लेखे 2022-23

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बैंक टू बैंक ऋण और ऑफ-बजट देनदारियों को समायोजित करने के बाद ऋण-जीएसडीपी अनुपात 22.22 प्रतिशत से घटकर 22.02 प्रतिशत हो गया।